

रजस्त्र विधि वाद सं 06/2017-18
संख्या सिंह बनाम जयसिंह जीन चौधरी एवं अन्य

आदेश की क्रम
सं 01 और जारी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित
03

यह वाद आवेदक दिलीप कुमार सिंह, पिता रमो हलधर सिंह, सा 10 महेशपुर राज थाना

—महेशपुर, जिला—पाकुड़ के द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। सुनवाई के कम में आवेदक की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती संख्या सिंह को मूल आवेदन में पक्षकार बनाया गया।

दिनांक 19.12.2024 को आवेदिका के विज्ञा अधिवक्ता को सूना गया एवं सम्पूर्ण

अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन से यह

स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा किस वाद में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में

आवेदन दिया गया है। उनके आवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत

निर्वाचित गृह की बिक्री एवं आवेदक दिलीप सिंह के द्वारा ही निर्वाचित काला के माध्यम से

कर दिया गया है विवादित भूमि का उत्तरवर्ती अन्य केवाला भी निर्वाचित है एवं दाखिल

खारिज भी सम्पन्न है विपक्षी द्वारा इस न्यायालय के दाखिल खारिज वाद सं 10

01/2011-12 में दिनांक 10.06.05 को पारित आदेश की छायाप्रति दाखिल किया गया है

, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत विवादित भूमि को लेकर पूर्व में ही इस

न्यायालय में उक्त अधिलवाद चला था जिसमें आदेश पारित किया जा चुका है। अब उसी

भूमि को लेकर इसी न्यायालय में फिर से कोई अन्यथा आदेश पारित करना विधि के प्रतिकूल

है।

अतः आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदिका यदि

चाहे तो विवाद के निपटारा हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय की शरण में जा सकती है। वाद की

कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखित एवं सत्यापित
भूमि सुधार उप-समाहता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप-समाहता,
पाकुड़।
19/01/25